


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
समग्र शिक्षा।

विषय :- शिक्षा विभाग के कार्मिकों का कार्मिक व्यक्तिगत विवरण पत्र (परिपत्र-10)
अद्यतन किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों का शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक व्यक्तिगत विवरण पत्र (परिपत्र-10) अद्यतन करवाया जाना है। अतः आपके अधीनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में शिक्षा विभाग के पदस्थापित कार्मिकों का कार्मिक व्यक्तिगत विवरण पत्र (परिपत्र-10) अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- परिपत्र-10

www.rajsevak.com



(एम. आर. बागड़िया)
अतिरिक्त राज्य परि. निदेशक-प्रथम

क्रमांक: रास्कूलशिप/जय/संस्था-1/विविध/परिपत्र-10/2020-21/ 17110

दिनांक :- 31/12/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त राज्य परि. निदेशक-प्रथम